आवासन मण्डल का बड़ा तोहफा

कर्मचारियों के लिए लॉच होगी मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना

जयपुर के प्रताप नगर में बनेंगे 2 व 3 बीएचके साइज के 624 फलैट्स

जयपुर, 03 जून। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों और आमजन को बड़ा तोहफा देते हुए जयपुर के प्रताप नगर में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना और प्रदेश के 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लॉच करने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं की लॉचिंग एक माह के भीतर मुख्यमंत्री के स्तर पर करवाई जायेगी। अरोड़ा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति का सपना है कि उसका अपना घर हो। उनके इस सपने को साकार करने के लिए मंडल द्वारा प्रत्येक वर्ग की जरूरतों के हिसाब से उचित कीमत पर आवासीय योजना तैयार की गई हैं।

जयपुर के प्रताप नगर में लॉच होगी मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना

अरोड़ा ने बताया कि कर्मचारियों को उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर के प्रताप नगर स्थित सेक्टर 26 में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना लॉच की जाएगी। इस योजना में प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार कुल 674 फ्लैट्स निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में 10 लाख 90 हजार रुपये में 632 वर्गफीट में निर्मित 2 बीचएचके फ्लैट, 15 लाख 70 हजार रुपये में 882 वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित 2 बीचएचके फ्लैट और 21 लाख रुपये में 1097 वर्ग फीट में निर्मित 3 बीचएचके फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस योजना में पूर्व में लॉच की गई मुख्यमंत्री राज्य सहायक कर्मचारी योजना के आवदेकों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहां कर्मचारियों के परिवारों को रहने के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। इस योजना के आस-पास स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी सुविधाओं पहले से ही उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा इससे पूर्व शिक्षकों और कॉन्स्टेबलों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना को लॉच किया गया था, जिसमें 576 फ्लैटों के विरूद्ध 700 से अधिक आवेदकों ने पंजीकरण कराया है।

मंडल प्रदेश के 11 शहरों में लॉच करेगा 17 आवासीय योजनाएं

आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि आमजन के घर की जरूरतों को देखते हुए मंडल द्वारा 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लॉच की जाएंगी। यह योजनाएं जयपुर के सिरोली, वाटिका, महला, शाहपुरा, उदयपुर के दक्षिण विस्तार एवं देवारी, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, टोंक के निवाई, सिरोही के आबूरोड़, अजमेर के नसीराबाद, किशनगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लॉच होंगी। इन योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग-अ, मध्यम आय वर्ग-ब व उच्च आय वर्ग के लिए कुल 11 हजार 250 आवास उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत देय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान आवासन मंडल के 50 वर्ष के इतिहास में इतनी योजनाएं एक साथ कभी भी लांच नहीं की गई हैं। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा

10 प्रतिशत दीजिये गृह प्रवेश कीजिये योजना में किश्तों पर नहीं लगेगा जीएसटी

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि 10 प्रतिशत दीजिये गृह प्रवेश कीजिये योजना में किश्तों पर जीएसटी लगने के संबंध में भ्रम की स्थिति थी। आयुक्त ने स्पष्ट किया की इस संबंध में जीएसटी विशेषज्ञों से चर्चा कर ली गई है, यह चूंकि पूर्ण निर्मित मकान है इसलिये जीएसटी न तो किश्तों पर और न ही ईएमडी पर लगेगा, अब यह मकान आमजन को और भी सस्ते उपलब्ध होंगे। मंडल अध्यक्ष भास्कर ए. सांवत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में 27 प्रकरणों पर विचार किया गया। इस बैठक में मुख्य नगर नियोजक आस्के विजयवर्गीय, मुख्य अभियंता केसी मीना, जीएस बाघेला, अतिरिक्त नगर नियोजक अनिल माथुर, उप नगर नियोजक संत सरन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बेदखली सूचना

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मेरा पुत्र भूपेन्द्र उर्फ देवा पुत्र फतेहचंद आयु 30 वर्ष है और पुत्रवधू सावित्री पत्नी भूपेन्द्र मेरे और मेरे पति फतेहचंद के कहने-सुनने में नहीं है। भूपेन्द्र और सावित्री अपनी दो संतानों के साथ हमसे अलग निवास कर रहे हैं। दोनों अपनी मनमर्जी करते हैं। इसलिए मैं आज से अपने पुत्र भूपेन्द्र और पुत्रवधू सावित्री को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करती हूँ। आज के बाद इन दोनों का मेरी किसी भी सम्पत्ति पर कोई हक नहीं होगा। जो कोई भी व्यक्ति इनके साथ व्यवहार या लेनदेन करेगा वो स्वयं जिम्मेवार होगा। आज के बाद किसी भी प्रकार के व्यवहार या लेनदेन के लिए मेरे या मेरे परिवारजन की